प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 जून 2026

निरसन हेतु एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्वैच्छिक समर्पण– आवेदन पत्र और सांकेतिक जांच- सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निरसन हेतु एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के स्वैच्छिक समर्पण संबंधी दिनांक 23 सितंबर 2025 की अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रवाह पोर्टल पर सीओआर के स्वैच्छिक समर्पण हेतु आवेदन फॉर्म और सांकेतिक जांच सूची की उपलब्धता की घोषणा की थी।

2. अपंजीकृत टाइप-I एनबीएफसी से संबंधित दिनांक 29 अप्रैल 2026 को जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियमन हेतु ढांचा) संशोधन निदेश, 2026' के पश्चात, आवेदन फॉर्म और सांकेतिक जांच सूची में संशोधन किया गया है। आवेदक एनबीएफसी (एचएफसी सहित) उक्त जांच सूची के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों के साथ, विधिवत भरे गए आवेदन फॉर्म को प्रवाह पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. यह उल्लेखनीय है कि किसी एनबीएफ़सी (एचएफ़सी सहित) द्वारा सहायक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से ही सीओआर के निरसन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। एनबीएफ़सी (एचएफ़सी सहित) को सीओआर के निरसन होने और रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित संस्था को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करने तक आरबीआई / एनएचबी / अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी लागू दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का पालन करना जारी रखना होगा और यथा लागू, अपेक्षित विनियामकीय / पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखना होगा।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/574